

Form No. III
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)
 मुकाम


अज अदालत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

जोधपुर

राजस्थान सरकार जारिये बनाम
 तहसीलदार जोधपुर

भीयाराम पुत्र स्व. घेवरराम
 जाति मेघवाल
 निवासी ग्राम बासनी बेन्दा
 नान्दड़ा कलां तहसील व जिला
 जोधपुर व अन्य

किस्म मुकदमा	राजस्व विविध प्रा0पत्र	नं. 02	सन् 2025
तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तागील में जारी हुए
6.2.2025	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन अधिनियम 1970 (कृषि प्रयोजनार्थ) अन्तर्गत धारा 14 (4) के तहत ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 18 रकबा 54.08 बीघा किस्म गैरमुमकिन नाला में से 18.00 बीघा भूमि घेवरराम पुत्र पीथाराम मेघवाल को नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 28.10.1971 द्वारा आवंटन से दर्ज हुई का आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जावे। रेकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक <u>26-03-2025</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर </p>		
26-3-25	<p>पत्रावली आज मंगल को दिनांक P.O. महोदय आज... 26/3/25 को मंगल को पेश होने में पत्रावली पूर्व आदेश की प्रकृतियों कांक 01-04-25 को पेश की जायेगी 0.0-2</p>		
31-4-25	<p>पत्रावली पेश हरे राजकीय कार्यालय उपरि प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर का कार्यालय निरस्त है उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त नये सि में उक्त नये का उक्त किताबान हरे प्रव में उक्त उक्त का जाये नहीं चलाने का प्रार्थना पत्र उक्त का उक्त को जारिये विद्वान निस्तारित करवाते हरे</p>		

नवीन प्राथमिक पत्र प्रस्तुत करने की सज्जगी
 हेतु निर्देश दिया गया है। चूंकि प्राथमिक
 द्वारा प्राथमिक पत्र विद्या किताब का प्रकाश
 है। अतः प्राथमिक का प्राथमिक पत्र का प्रकाश
 विद्यालय शास्त्र किताब का ही प्रकाश
 प्रोत्साहन शुभाला एकादश नवंबर से शुरु है
 तथा बाकी नवीन प्राथमिक प्रकाशक द्वारा

अथ (Signature)
 अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
 जोधपुर

